(280)

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–1
अधिसूचना

14 सितम्बर, 2015 ई0

संख्या 766/I/2014–02/04/2015–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं शर्तें), 2006 के प्राविधानों में विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम सं0–36, सन् 2003) की धारा 180 की उपधारा 2 के खण्ड घ और खण्ड ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस विषय पर अधिसूचना संख्या 385/I/2006–02(2)/10/02, दिनांक 07–03–2006 में स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान प्राविधानों के स्थान पर स्तम्भ–4 में उल्लिखित प्राविधानों को संशोधित/स्वीकृत करते हैं:–

क्र0 सं0	नियम	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, 2006 में निहित नियम	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग नियमावली, 2009 में निहित नियम
1	2	3	4
1.	(6) वेतन	अध्यक्ष प्रतिमास ₹ 80,000 (रुपये अस्सी हजार) तथा सदस्य ₹ 75,000 (रुपये पचहत्तर हजार) वेतन प्राप्त करेंगे। (शासनादेश संख्या–61/I/2009–05–90/2008, दि0 23–04–2009 द्वारा पुनरीक्षित) परन्तु यदि अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अन्तिम रूप से आहरित वेतन से न्यून वेतन प्राप्त नहीं करेगा। परन्तु यह और कि यदि पेंशनभोगी व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशिकरण के पूर्व पेंशन की कुल रकम घटा दी जायेगी।	(क) अध्यक्ष का वेतन भारत के चुनाव आयुक्त के समकक्ष तथा सदस्य का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष होगा। परन्तु अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति हुआ हो या जो केन्द्र या किसी राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति हुआ हो, वेतन ऐसी सेवानिवृत्ति के समय उसे भुगतान किये गये या देय वेतन से कम नहीं होगा। परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के किसी लाभ की प्राप्ति करता है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो उसके उपर्युक्त वेतन से पेंशन की सकल राशि को, जिसमें व्यक्ति का सारांशीकृत पेंशन का भाग, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, कम कर दिया जायेगा।

1	2	3	4
2.	(7) मंहगाई भत्ता एवं नगर प्रतिकरात्मक भत्ता	अध्यक्ष और सदस्य केन्द्र सरकार के समूह–क के अधिकारी को अनुमन्य दरों पर अपने वेतन के समतुल्य मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और पर्वतीय भत्ता प्राप्त करेगा।	(ख) अध्यक्ष और सदस्य क्रमशः भारत के चुनाव आयुक्त एवं राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अनुमन्य दरों पर अपने वेतन के अनुरूप मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।
3.	(8) आवास	(क) अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य किराया मुक्त सरकारी आवास पाने का पात्र होगा। (ख) जब कभी अध्यक्ष और सदस्य को खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवास की व्यवस्था न की जाय या वह स्वयं उसका लाभ नहीं उठाता है तो उसके राज्य सरकार के सचिव को प्रतिमास अनुमन्य मकान किराया भत्ते के रूप में संदाय किया जायेगा। (ग) जहां अध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि के उपरान्त किसी सरकारी आवास का अध्यासन करता है, वहां वह यथास्थिति, लाईसेन्स फीस या शास्तिक किराये का देनदार होगा और प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार उसे बेदखल किया जा सकेगा।	(क) अध्यक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा सदस्य राज्य सरकार के प्रमुख सचिव की श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य प्रकार के किराया मुक्त सरकारी आवास का हकदार होगा। (ख) जब अध्यक्ष या सदस्य को खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवास की व्यवस्था न की जाय या वह स्वयं उसका लाभ नहीं उठाता है तो उसे क्रमशः राज्य सरकार के मुख्य सचिव या राज्य सरकार के प्रमुख सचिव को अनुमन्य प्रतिमास मकान किराया भत्ता के रूप में भुगतान किया जाय। (ग) जहां अध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि के उपरान्त किसी सरकारी आवास का अध्यासन करता है, वहां वह, यथास्थिति, लाईसेन्स फीस या शास्तिक किराये का देनदार होगा और प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार उसे बेदखल किया जा सकेगा।
4.	(10) यात्रा भत्ता	(क) अध्यक्ष और सदस्य भारत के भीतर दौरा करते समय या स्थानान्तरण पर (जिसके अन्तर्गत आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा और आयोग में पदावधि के पर्यवसान पर अपने गृह नगर को की गई यात्रा सम्मिलित है) यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और निजी सामान के परिवहन के लिए अध्यक्ष/सदस्य जो मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं/रहे हैं, के	(क) अध्यक्ष या सदस्य जब दौरे या यात्रा पर (जिसके आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गयी यात्रा या आयोग में उसकी कार्यावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर को की गयी यात्रा भी सम्मिलित है) उन्हीं मापक्रमों और उन्हीं दरों पर जैसा हाईकोर्ट जजेज (ट्रैवलिंग एलाउंस) रूल्स, 1756 में

278

1	2	3	4
		लिये उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 तथा शेष के लिये उसी मापदण्ड ओर उन्हीं दरों के लिए पात्र होगें जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के समूह–क के अधिकारी पर लागू होती है। (ख) अध्यक्ष या सदस्य द्वारा केवल शासकीय प्रयोजन हेतु ही किए जाने वाले विदेशी दौरों के लिए राज्यपाल का पूर्व अनुमोदन और विदेश मंत्रालय से राजनीतिक दृष्टिकोण से और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 के उपबन्धों के अधीन विदेशी मेहमानवाजी स्वीकार करने के लिए यदि कोई हो, गृह मंत्रालय से अनापत्ति अपेक्षित होगी। परन्तु विदेशी दौरे की अवधि के दौरान दैनिक भत्ता और होटल आवास व्यवस्था, ऐसे आदेशों के जो राज्य सरकार के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले समूह–क के अधिकारी पर लागू होती है, समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये आर्थिक अनुदेशों या अन्य अनुदेशों के अनुरूप होगें।	विहित है जैसा कि अध्यक्ष के मामले में भारत के चुनाव आयुक्त या सदस्य के मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अनुमन्य हों, जो भी उच्च हों, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक सामानों के परिवहन और अन्य तत्सदृष्य मामलों के लिए हकदार होगा। (ख) प्रस्तर–क के अनुसार।
5.	(11) सत्कार भत्ता	अध्यक्ष और सदस्य दो हजार पांच सौ रूपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता पाने के पात्र होगें।	अध्यक्ष और सदस्य पांच हजार रूपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता के पात्र होगें।
6.	(13) छुट्टी यात्रा रियायत	अध्यक्ष और सदस्य समतुल्य वेतनमान प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह–क के अधिकारियों को अनुमन्य सुविधानुसार ही छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने के पात्र होगें। परन्तु यदि अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तो वह उसी वेतन पर और उन्हीं दरों पर जो यथास्थिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमन्य होती है, छुट्टी यात्रा रियायत पाने का पात्र होगा।	अध्यक्ष या सदस्य उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापक्रमों पर और उन्हीं भार्तों पर क्रमशः भारत के चुनाव आयुक्त या राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष अवकाश यात्रा सुविधा के हकदार होगें।

इस नियमावली के प्रवृत्त होने से उपरोक्त नियम–6, 7, 8, 10, 11 एवं 13 के अतिरिक्त अधिसूचना सं0 385/I/2006–02(2)/10/02, दिनांक 07–03–2006 में उल्लिखित अन्य सभी प्राविधान यथावत् मान्य होंगे।

आज्ञा से,
डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 17–10–2015, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 ऊर्जा/636–29–10–2015–50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।